OFFICE OF DISTRICT MAGISTRATE, SARAN, CHAPRA
22 JAN 2011
CONFIDENTIAL SECTION

पत्रांक–आ०प्र०–अंकेक्षण–11 / 2010 189 आ०प्र०

बिहार सरकार
आपदा प्रबंधन विभाग

प्रेषक,

राम विलास पाठक,
अपर सचिव।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी,
बिहार।

विषय– **जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के गठन की सूचना उपलब्ध कराने के संबंध में।**

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संदर्भ में कहना है कि जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के अनुच्छेद IV के धारा 25 से 35 के तहत आपके जिला में कर लिया गया होगा। यदि नहीं किया गया हो तो, अविलम्ब इसका गठन कर लिया जाय। यदि गठन किया गया है तो इसकी प्रति विभाग को भेजी जाए।

प्राधिकरण के गठन से संबंधित पत्र की प्रति विभाग के पास उपलब्ध रहना आवश्यक है। इस संबंध में सूचना वित्त विभाग, बिहार, पटना के माध्यम से नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक, भारत सरकार , नई दिल्ली को प्रेषित की जानी है।

इस संबंध में आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के धारा 25 से 34 द्रष्टव्य है।

कृपया इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

(राम विलास पाठक)
अपर सचिव

\\mukul\2011\EA\ K\Additional Secy\application.doc